

अतः पत्रावली पूर्वानुसार विना 15-24

15-10  
24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं अभिभाषक  
वादीगण अनुपस्थित। तीन बार कक-कककर  
झावाज लगायी गयी, लेकिन कोई भी  
उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में गुणाकरण  
पर टिप्पणी किये बिना, अदम हाजरी,  
अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 9 नियम  
& CPC स्वारीज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल्य शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
बाद तामील तकमील कारिपेल दफ्तर हो।

*[Handwritten Signature]*



उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालाबाड़ (राज.)

